

// // कार्यालय कलेक्ट्रेट (संस्थागत वित्त) जिला हरदा म.प्र. // //

सूचना का अधिकार संबंधी जानकारी :-

बिन्दु क्रमांक(1)

1- प्रशासनिक प्रतिवेदन :-

(क) जिला संस्थागत वित्त कार्यालय प्रशासकीय विभाग -वित्त विभाग है। जिला संस्थागत वित्त के कार्य के साथ-साथ अल्प बचत का भी कार्य संपादित किया जा रहा है जिसमें जिले को दिये गये लक्ष्य की पूर्ती एवं अल्प बचत बढ़ाने के लिये प्रचार एवं प्रसार किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक(2)

2- कार्यालय स्थापना विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	कर्मचारी एवं अधिकारी का नाम	पदनाम	उपलब्धियां	सौपा गया कार्य
01	श्रीमती श्वेता पवार	प्रभारी अल्प बचत अधिकारी		कार्यालय प्रमुख का कार्य
02	श्रीमती रत्नावली वशंवर्ती	क्षेत्रीय सहायक	माह मई 2010 तक +7,84,34,922 का शुद्ध संग्रहण हुआ है जो जिले को प्राप्त लक्ष्य 15 करोड़ के मुकावले 52.28 प्रतिशत है	शाखा प्रभारी

बिन्दु क्रमांक(3)

कार्यालय में अपनाये जाने वाली निर्णय प्रक्रिया :-

अल्प बचत एजेंटों की नियुक्ति एवं नवीनीकरण के आवेदन पत्रों के निराकरण एवं अल्प बचत योजना में निवेश से संबंधित आवेदन पत्रों का निराकरण करना है ।

ब्रिस्क योजना अन्तर्गत अर्जित वसूली की जानकारी संधारित करना बिन्दु क्रमांक(4) कार्यालय के द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्य द्वारा सिटीजन चार्टर से निर्धारित है जो निम्न है :-

क्र	कार्य/गतिविधि/योजना का नाम	प्रभारी/विहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समयवधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है उसका पदनाम	शिकायत के निराकरण की समय सीमा
1	2	3	4	5	6
1	एजेन्ट नियुक्ति के आवेदन का निराकरण	डिप्टी कलेक्टर प्रभारी	तीन माह	आयुक्त जिला संस्थागत वित्त	15 दिवस
2	बचत योजना के निवेशों के आवेदनों का निराकरण	जिला संस्थागत वित्त अधिकारी कलेक्टर के मार्ग दर्शन में	15 दिवस	आयुक्त जिला संस्थागत वित्त	15 दिवस

आयुक्त जिला संस्थागत वित्त

1	एजेन्ट नियुक्ति के आवेदन का निराकरण	डिप्टी कलेक्टर प्रभारी	तीन माह	आयुक्त जिला संस्थागत वित्त	15 दिवस
2	बचत योजना के निवेशों के आवेदनों का	जिला संस्थागत	15 दिवस	आयुक्त जिला	15 दिवस

	निराकरण	वित्त अधिकारी कलेक्टर के मार्ग दर्शन में		संस्थागत वित्त	
--	---------	---	--	-------------------	--

बिन्दु क्रमांक(5)

संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशो अनुसार कार्य संपादित किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक(6)

जिला संस्थागत वित्त में एजेंट नियुक्ति एवं नवीनीकरण की पंजीया संधारित है ।

बिन्दु क्रमांक(7) की जानकारी निरंक है ।

बिन्दु क्रमांक(8) की जानकारी निरंक है ।

बिन्दु क्रमांक(9) एवं (10) कार्यालय मे कार्यरत कर्मचारियो की जानकारी विन्दु क्रमांक (1) में दी गयी है ।

बिन्दु क्रमांक(11) वित्तीय वर्ष 2010-11.के लिये प्राप्त आबंटन रूपये 2,00,000 । इसमें से माह जून 2010 तक कूल व्यय रूपये 71,856 का व्यय हुआ है व राशि रूपय1,28,144 शेष है ।

बिन्दु क्रमांक(12) एवं (13) की जानकारी निरंक है ।

बिन्दु क्रमांक(14) कार्यालय में अल्प बचत अधिकारी की नियुक्ति एवं नवीनीकरण की पंजीया संधारित है ।

बिन्दु क्रमांक(15) आम नागरिको को सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये सहायक लोक सूचना अधिकारी के पद पर श्रीमती आर. वशंवर्ती की नियुक्ति की गयी है ।

बिन्दु क्रमांक(16) लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी

1- श्रीमती श्वेता पवार डिप्टी कलेक्टर प्रभारी जिला संस्थागत वित्त अधिकारी हरदा फोन न. 07577225003

2- मिलने का समय प्रातः 10.30 से शाम 5.30 तक

बिन्दु क्रमांक(17) लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना का अधिकारी से मिलने का समय प्रातः 10.30 से शाम 5.30 तक निर्धारित है आम नागरिक अपना आवेदन पत्र देकर उसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकते है ।

जिला संस्थागत वित्त अधिकारी
जिला - हरदा